



2026:AHC-LKO:42121

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - - 4748 सन् 2026

किशन तिवारी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इसके प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आनंद कुमार श्रीवास्तव, अंकुर यादव

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना-उतरौला, जिला-बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 295/2024, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 61(2) B.N.S., 2023 के तहत विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने जोड़ा कि आवेदक के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उसने पूरी तरह से निर्मित मकान की तस्वीरें भेजी थीं, हालांकि वह आधा बना हुआ था। उन्होंने आगे जोड़ा कि यह आरोप है कि इस प्रकार की जियो-टैगिंग द्वारा लाभार्थी रोहित सिंह को लाभ दिया गया था। वे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक लाभार्थी नहीं है क्योंकि उसके खाते में कभी कोई राशि जमा नहीं की गई है और लाभार्थी एक रोहित सिंह है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे जोड़ा कि आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 18-05-2026 से जेल में बंद है और वह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, जिसका नाम कार्तिक मोदनवाल है, को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 643/2025 में पारित आदेश दिनांक 22-01-2025 के जरिए पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक उसी की समानता की मांग कर रहा है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और इसलिए वह किसी राहत का हकदार नहीं है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि आवेदक 18-05-2026 से जेल में बंद है; आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस तथ्य के साथ कि आवेदक ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, समर्थक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना तथा इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि ऊपर नामित समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, मैं इसे जमानत का एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक - **किशन तिवारी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो मुचलके प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(1) आवेदक जांच या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव बनाकर या अन्यथा अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(2) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए तय तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह तय प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-A के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है;

(3) आवेदक (i) मामला खोलने, (ii) आरोप तय करने तथा (iii) धारा 313 Cr.P.C. के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; और

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 Cr.P.C. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-A के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

जमानतदारों की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, निचली अदालत को जमानत रद्द करने और आवेदक को जेल भेजने की स्वतंत्रता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां पूरी तरह से इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25 जून, 2026

एकेएस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।